ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला कॉंगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों

का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1 प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनॉक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला कॉंगड़ा के अवधि "04/21 से 03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री हरि राम	01.04.21 से 31.03 .23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1..	श्रीमती कविता देवी	01-04-21 से 30-05-21
2.	श्री सुर्जन राम	31-05-21 से 30-09-21
3.	श्री राम पाल	01-10-21 से 28-02-23
4.	श्री भूषण कुमार	01-03-23 से 31-03-23

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत गोपालपुर के अवधि "01-04-2021 से 31-03 -2023" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	16.49
2	6	प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ो में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया जाना	0.07
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.91
4	8	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	1.33
5	12	निर्माण कार्यों के मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान करना	2.18
6	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	0.66
7	14	प्रत्येक क्रय की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	2.93
8	16	अंकेक्षणार्थ माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत न करना	25.00
9	18	आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान करने के कारण का अधिक भुगतान	0.21
10	19	विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री से कम सामग्री के उपयोग/लेखांकन के फलस्वरूप राशि का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना	0.41

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला कांगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03/2023" तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री विशाल शर्मा द्वारा दिनांक 16-11-2023 से दिनांक 21-11-2023 के दौरान पंचायत कार्यालय गोपालपुर में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	12/21	07/21
2022-23	04/22	05/22

अस्वीकरण :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क**:-

ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹8000/-** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 94 दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गोपालपुर से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति**:-

ग्राम पंचायत गोपालपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्रोत :- ग्राम पंचायत गोपालपुर के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्व: स्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	802164.40	61135.00	863299.40	250008.00	613291.40
2022-23	613291.40	227587.00	840878.40	91047.90	749830.50

{ख} अनुदान :- ग्राम पंचायत गोपालपुर के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	1223261.26	6904031.80	8127293.06	6351372.80	1775920.26
2022-23	1775920.26	9214215.45	10990135.71	9341465.85	1648669.86

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2398500.36
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	2398500.36
अंतर	0

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है।

अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. **अनुदान राशि ₹16.49 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹1648669.86 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114(1) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गोपालपुर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. **प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ो में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹0.07 लाख अंतर:-**

पंचायती राज मंत्रायल भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम.एम.पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे की पंचायत द्वारा की गई सेवाओं /सामान खरीद /भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ो व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ो में निम्न अंतर पाया गया :-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (except manrega)

क्रम स.	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	7/21	0.00	220958.00	220958.00	0.00	43750.00	43750.00
2	12/21	262300.00	230431.00	31869.00	87159.00	99859.00	12700.00
3	4/22	0.00	436082.00	436082.00	0.00	368848.90	368848.90

4	5/22	308110.00	152017.00	156093.00	632957.00	312453.00	320504.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA)

क्रमस.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	21-22	4044132.76	6965166.80	2921034.04	1190487.80	6601380.80	5410893.00
2	22-23	5285645.76	9441802.45	4156156.69	2880608.45	9432513.75	6551905.00

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
03/23	2275480.31+129557.00(Cash in Hand) = 2405037.31	2398500.36	6536.95

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114(3) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 **पंचायत राजस्व राशि ₹0.91 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

(क) गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.55 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखें और विवरणी, अभिप्रास करने की व्यवस्था करेगा और उन्हे प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के प्रस्तुत अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-23 के दौरान ₹25 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹55000 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

सम्पति कर :

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आरम्भिक शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	556	25	68900	13900	82800	41575	41225

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	556	25	41225	13900	55125	125	55000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का संधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

(क) दुकानों से किराया :-

ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न दुकानों/खोखों का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को ₹36450 दुकानों के किराए के रूप में वसूली हेतू शेष थे जिसका विवरण **परिशिष्ट – ख** व निम्न तालिका में दिया गया है :-

वर्ष	आरम्भिक शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	21300	31200	52500	29600	22900
2022-23	22900	53250	76150	39700	36450

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114(2) दिनांक 30.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दुकानों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण दुकानों के बकाया राशि की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी, जो पंचायती राज (वित्त) नियम 2002 के नियम 79(2) की स्पष्ट उलंघना है।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹1.33 लाख की राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹132623/- का अनियमित भुगतान किया गया था :-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत	328.24	1.62	531.75	60	31905

बजरी	649.11	1.52	986.65	60	59199
रेत	57.77	1.62	93.59	80	7487
बजरी	61.74	1.52	93.84	80	7507
				कुल योग	106098
				पेनल्टी 25%	26525
				कुल योग	132623/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(6) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी |

अतः **₹132623/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है । शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें ।

9. **बिल / वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/23 के दौरान बिलों का भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र॰स॰	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2021-22	07/2021	**1847866.00**
2.	2022-23	05/2022	**2248970.55**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(7) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 07/21 व 05/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 07/21व 05/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे, जो कि उपरोक्त नियमों के विपरित है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(8) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति समान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गई है, जो कि अनियमित है। उपरोक्त अनियमितता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि
1.	श्री राकेश कुमार, वार्ड पंच	755	C/O kuhal from High School Gopalpur towards vaya gujreda wrad no.6	05-07-21	05-07-21	250/-	115/-
2.	श्री कमल कपूर, वार्ड पंच	148	C/O of cowshed Kamal Kapoor s/o Sarban Kumar land	19-04-22	19-04-22	300/-	203/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114(4) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की यथोचित दर से वसूली की जाए व कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. निर्माण कार्यों के मूल्यांकन (Assessment) के बिना ₹2.18 लाख का भुगतान करना:-

प्रधान सचिव (ग्रा०वि० एवं प० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: एस एम् एस-17/2002-आरडी डी (जी आर एस) दिनांक 22 -09 -2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता की assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹217789/-** का भुगतान (assessment) के बिना किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	निर्माण कार्य नाम	राशि
1	11/11.05.2022	निर्माण कुहल गोपालपुर से जिया की ओर	69189
2.	12/11.05.2022	निर्माण कुहल गोपालपुर से जिया की ओर	148600
		कुल योग	217789/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(5) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त वर्णित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

13. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.66 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹65505/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	वा० संख्या, वर्ष/माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1	**32**, दिनांक 06.07.21	मै. हेम राज	स्टील (सरिया)	11600
2	**27**, दिनांक 06.07.21	मै. हेम राज	स्टील (सरिया)	11600
3	**22**, दिनांक 06.07.21	मै. हेम राज	स्टील (सरिया)	11600
4	**5102**, दिनांक 06.07.21	मै. नेवा प्लांटेशन	प्लांट्स (मनरेगा)	27000
5	**19**, दिनांक 18.05.22	मै. जम्वाल बर्तन भण्डार	Sanitary Equipment	3705
		कुल योग		65505/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(10) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर

संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही कार्यों को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना कृत व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में कार्यों को करने से पूर्व आवश्यक निर्धारित औपचारिकताएं विधिवत पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. **₹2.93 लाख के स्टॉक की प्रविष्टि न करने बारे:-**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार प्रत्येक खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹292769/-** के स्टॉक की प्रविष्टि नहीं की गई थी :-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1.	**11**, दिनांक 11.05.22	मै. हेम राज	निर्माण सामग्री (सीमेंट)	69189
2.	**12**, दिनांक 11.05.22	मै. हेम राज	निर्माण सामग्री (रेत, बजरी)	148600
3.	**13**, दिनांक 11.05.22	मै. हेम राज	निर्माण सामग्री (टाइल्स)	2764
4.	**14**, दिनांक 11.05.22	मै. हेम राज	निर्माण सामग्री (टाइल्स)	22171
5.	**15**, दिनांक 11.05.22	मै. हेम राज	निर्माण सामग्री (रेत, बजरी)	24980
6.	**16**, दिनांक 11.05.22	मै. संजीव कुमार	Sanitary Equipment	1900
7.	**17** , दिनांक 11.05.22	मै. हेम राज	निर्माण सामग्री (रेत)	18330
8.	**18**, दिनांक 11.05.22	मै. संजीव कुमार	Sanitary Equipment	1130
9.	**19**, दिनांक 18.05.22	मै. अम्बाल बर्तन भण्डार	Sanitary Equipment	3705
		कुल योग		**292769/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(11) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद में भुगतान करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(2) के अनुसार **सामग्री के क्रय के लिए प्रदायक/आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले संदाय केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँगे।**

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अदायगियां नगद की गई थी :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	क्रय की गई सामग्री	रोकड़ पृष्ठ संख्या	भुगतान की गई राशि
1	38/05.08.2021	स्टेशनरी	173	4510
2	48/31.08.2021	स्टेशनरी	175	1400
3	24/21.03.2022	बिजली बिल	11	3344
4	25/21.03.2022	कम्प्यूटर मुरम्मत	11	1200
कुल योग				10454/-

उपरोक्त दृष्टांत मामलों में राशि ₹10454 की अदायगी नगद की गई थी, जो कि उपरोक्त नियम की अवेहलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(12) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में की जाने वाले भुगतान उपरोक्त नियम के अनुसार क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँ तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशि ₹25.00 लाख से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक (कों) को सुसंगत अभिलेख/रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशियों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में भुगतान की गई राशि के व्यय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। निर्माण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि (₹)
1	c/o Mokshdham ward no.4	मनरेगा	300000
2	c/o Mokshdham bhattlehad	मनरेगा	300000
3	Upgradation of kuhal from Gopalpur towards nikkakundu ward no. 3	मनरेगा	300000
4	Upgradation of kuhal from Mast Ram land towards bhattlahed ward no.5	मनरेगा	300000
5	c/o land development protection wall Rajesh Kumar land ward no. 3	मनरेगा	100000
6	c/o jeepable road from Dharm Chand house towards dhanota basti ward no.2	मनरेगा	300000
7	c/o jeepable road from Hariya Ram house towards bhattlehad ward no. 5	मनरेगा	300000

8	c/o jeepable road from bhattbasti towards harijanbasti ward no. 3	मनरेगा	300000
9	निर्माण कुहल गोपालपुर से जिया की ओर	15th F.C	300000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(17) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण के दौरान अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

17 **मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकरियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मों की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रुपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मों के दस प्रतिशत पर परीक्षण जाँच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1	निर्माण कार्य मोक्षधाम हरिजन बस्ती	मनरेगा	100000	12414/11,18 12391/26,96
2.	निर्माण रविदास सरायं ग्राम पंचायत गोपालपुर	VKVNY	100000	12433/30-31

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(9) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18 **आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान करने के कारण 0.21 का अधिक भुगतान :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत मै. हेम राज को सीमेंट ढुलाई के लिए ₹35 की दर से भुगतान किया गया था परन्तु वर्ष 2021-22 की निविदाओं की जाँच में पाया गया कि मै. हेम राज द्वारा सीमेंट ढुलाई के लिए कोई भी दर अंकित नहीं की गई थी, इसके अतरिक्त मै. ग्लोर राम द्वारा सीमेंट ढुलाई के लिए ₹27 की दर उद्धत की गई थी व मै. परस इंटरप्राइजेज द्वारा सीमेंट ढुलाई के लिए ₹35 की दर अंकित की गई थी | निविदाओं की तुलना करने पर पाया गया कि मै. ग्लोर राम को सीमेंट ढुलाई के लिये ₹27 की दर से पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था |

उपरोक्त अनियमिता के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार **₹20960/-** का **अनियमित व अधिक भुगतान किया गया था :-**

क्रम संख्या	बिल संख्या/तिथि	फर्म का नाम	सीमेंट ढुलाई बैग की मात्रा	दर	भुगतान की गई राशि	तुलना के अनुसार सबसे कमदर अंकित करने वाली फर्म का नाम	सीमेंट ढुलाई बैग की मात्रा	दर	भुगतान की गयी राशि	अधिक भुगतान
1	33/06.07.21	मै. हेम राज	120	35	4200	मै. ग्लोरा राम	120	27	3240	960
2	15/06.07.21	मै. हेम राज	150	35	5250	मै. ग्लोरा राम	150	27	4050	1200
3	41/06.07.21	मै. हेम राज	130	35	4550	मै. ग्लोरा राम	130	27	3510	1040
4	23/06.07.21	मै. हेम राज	100	35	3500	मै. ग्लोरा राम	100	27	2700	800

5	45/06.07.21	मै. हेम राज	100	35	3500	मै. ग्लोरा राम	100	27	2700	800
6	05/06.07.21	मै. हेम राज	70	35	2450	मै. ग्लोरा राम	70	27	1890	560
7	23/06.07.21	मै. हेम राज	100	35	3500	मै. ग्लोरा राम	100	27	2700	800
8	01/06.07.21	मै. हेम राज	100	35	3500	मै. ग्लोरा राम	100	27	2700	800
9	18/06.07.21	मै. हेम राज	120	35	4200	मै. ग्लोरा राम	120	27	3240	960
10	08/06.07.21	मै. हेम राज	100	35	3500	मै. ग्लोरा राम	100	27	2700	800
11	28/06.07.21	मै. हेम राज	120	35	4200	मै. ग्लोरा राम	120	27	3240	960
12	12/06.07.21	मै. हेम राज	100	35	3500	मै. ग्लोरा राम	100	27	2700	800
13	38/06.07.21	मै. हेम राज	120	35	4200	मै. ग्लोरा राम	120	27	3240	960
14	111/21.05.22	मै. हेम राज	150	35	5250	मै. ग्लोरा राम	150	27	4050	1200
15	115/21.05.22	मै. हेम राज	140	35	4900	मै. ग्लोरा राम	140	27	3780	1120
16	120/21.05.22	मै. हेम राज	160	35	5600	मै. ग्लोरा राम	160	27	4320	1280
17	125/21.05.22	मै. हेम राज	140	35	4900	मै. ग्लोरा राम	140	27	3780	1120
18	129/21.05.22	मै. हेम राज	145	35	5075	मै. ग्लोरा राम	145	27	3915	1160
19	134/21.05.22	मै. हेम राज	140	35	4900	मै. ग्लोरा राम	140	27	3780	1120

20	139/21.05.22	मै. हेम राज	150	35	5250	मै. ग्लोरा राम	150	27	4050	1200
21	144/21.05.22	मै. हेम राज	165	35	5775	मै. ग्लोरा राम	150	27	4455	1320
कुल योग										20960

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(13) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

19. विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु क्रय सामग्री से कम सामग्री के उपयोग के फलस्वरूप राशि ₹0.41 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के अवलोकन में पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (रेत, बजरी, सीमेंट) का निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री (रेत, बजरी,सीमेंट) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या / पेज संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	निर्माण कार्य C/o jeep road shiv mandir to towards janakkumar house	10637 पृष्ट संख्या 50,63,89 व 10688 पृष्ट संख्या 11,12,42,53,85	रेत	400 cft	233 cft	167 cft	37	6179
			बजरी	800 cft	442 cft	358 cft	35	12530
			सीमेंट	100 bag	62 bag	38 bag	296.76	11275
	कुल योग (1)							29984/-

2.	निर्माण कार्य रविदास सरायं	12433 पृष्ट संख्या 30-31	रेत	500 cft	316 cft	184 cft	49	9016
			बजरी	40 cft	27 cft	13 cft	39	507
	कुल योग (2)							9523/-
	निर्माण कार्य completion of jeepable road duman basti	12414 पृष्ट संख्या 8,9,19,20,34,50	बजरी	840 cft	789 cft	51 cft	37	1887
	कुल योग (3)							1887/-
	कुल योग (1+2+3)							41394/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(14), 115(15), व 115(16) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः निर्धारित निर्माण मानकों के अनुसार उक्त निर्माण सामग्री की मात्रा से अधिक सामग्री के क्रय को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 **विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115(18) दिनांक 21.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GOPALPUR/85 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय

में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	---	31
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
6	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)
10	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी,डी)
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

21. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

22. **लघु-आपति विवरणिका** :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

23 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

0 8 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

312 - 316

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)384/2023–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 8 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT GOPALPUR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176059

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	802164.40	61135.00	863299.40	250008.00	613291.40

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT GOPALPUR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176059

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	613291.40	227587.00	840878.40	91047.90	749830.50

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT GOPALPUR
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P

परिशिष्ट – 1

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP GOPALPUR BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	322767.46	75949.00	398716.46	260268.00	138448.46
2	MGNREGA	0.00	5286589.80	5286589.80	5286589.80	0.00
3	ZP	144846.00	4395.00	149241.00	21993.00	127248.00
4	5TH FC	119662.00	241578.00	361240.00	259300	101940.00
5	AAY	6628.00	200.00	6828.00	0.00	6828.00
6	MPLAD	66514.00	2018.00	68532.00	0.00	68532.00
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	143182.80	469928.00	613110.80	523222	89888.80
9	SBM	20255.00	614.00	20869.00	0.00	20869.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	GRDY	1593.00	48.00	1641.00	0.00	1641.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	397813.00	822712.00	1220525.00	0.00	1220525.00
	TOTAL	**1223261.26**	**6904031.80**	**8127293.06**	**6351372.80**	**1775920.26**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP GOPALPUR BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	138448.46	502.00	138950.46	138542.40	408.06
2	MGNREGA	0.00	6527881.45	6527881.45	6527881.45	0.00
3	ZP	127248.00	3612.00	130860.00	0.00	130860.00
4	5TH FC	101940.00	349750	451690.00	325764	125926.00
5	AAY	6828.00	191.00	7019.00	0.00	7019.00
6	MPLAD	68532.00	202771	271303.00	196970	74333.00
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	89888.80	284437	374325.80	231175	143150.80
9	SBM	20869.00	292.00	21161.00	21161.00	0.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	GRDY	1641.00	45.00	1686.00	0.00	1686.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0.00	597000.00	597000.00	297000.00	300000.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1220525.00	1247734.00	2468259.00	1602972.00	865287.00
	TOTAL	**1775920.26**	**9214215.45**	**10990135.71**	**9341465.85**	**1648669.86**

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 1775920.26

J.A

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT GOPALPUR
DEV. BLOCK BHAWARNA KANGRA, H.P

SECY

25

BANK DETAIL OF GP GOPALPUR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC	KCC	20081005288	921574.40
2	General/5th FC	UCO	33760110006344	0.00
3	General/14 FC	HGB	87710100101893	322767.46
4	15 FC	HGB	87710100114014	397813.00
5	VKVNY/SDP	HGB	87710100101884	143182.80
6	MPLAD	HGB	87710100101918	66514.00
7	ZP	HGB	87710100101909	144846.00
8	GRDY	HGB	87710100101875	1593.00
9	AAY	HGB	87710100101936	6628.00
10	SBM	HGB	87710100101112	20255.00
11	CASH IN HAND			252.00
			TOTAL	2025425.66

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC	KCC	20081005288	714502.40
2	General/5th FC	UCO	33760110006344	0.00
3	General/14 FC	HGB	87710100101893	138448.46
4	15 FC	HGB	87710100114014	1220975.00
5	VKVNY/SDP	HGB	87710100101884	89888.80
6	MPLAD	HGB	87710100101918	68532.00
7	ZP	HGB	87710100101909	127248.00
8	GRDY	HGB	87710100101875	1641.00
9	AAY	HGB	87710100101936	6828.00
10	SBM	HGB	87710100101112	20869.00
11	CASH IN HAND			33.00
			TOTAL	2388965.66

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT GOPALPUR
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA

BANK DETAIL OF GP GOPALPUR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC	KCC	20081005288	162311.00
2	General/5th FC	UCO	33760110006344	712239.95
3	General/14 FC	HGB	87710100101893	408.06
4	15 FC	HGB	87710100114014	865737.55
5	VKVNY/SDP	HGB	87710100101884	443150.80
6	MPLAD	HGB	87710100101918	74333.00
7	ZP	HGB	87710100101909	130860.00
8	GRDY	HGB	87710100101875	1686.00
9	AAY	HGB	87710100101936	7019.00
10	SBM	HGB	87710100101112	0.00
11	CASH IN HAND			755.00
			TOTAL	2398500.36

J.A

PRADHAN

GRAM PANCHAYAT GOPALPUR

DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P.

SECY

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT GOPALPUR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	556	25	68900	13900	82800	41575	41225

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT GOPALPUR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	556	25	41225	13900	55125	125	55000

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT GOPALPUR
DEV. BLOCK BHAWARNA KANGRA H.P.

97

परिशिष्ट - ख

SHOP RENT AMOUNT OUTSTANDING AS ON 31-03-2023 OF GRAM PANCHAYAT GOPALPUR BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	No. of shops	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Amount
2021-22	6	21300	31200	52500	29600	22900
2022-23	6	22900	53250	76150	39700	36450

PRADHAN GRAM ... DEV. BLOCK ...

SECY ... GOPALPUR ... KANGRA, H.P.

J.A